विधानसभा चुनाव की तैयारियों का डीडीसी ने लिया जायजा

जिले के सभी बूथों का छह दिनों में करें भौतिक सत्यापन

प्रतिनिधि ▷ औरंगाबाद शहर

जिले के शत-प्रतिशत मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन अगले छह दिनों के अंदर करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया है. बीडीओ अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का सत्यापन करते हुए इसका प्रतिवेदन तैयार करेंगे और फिर निर्वाचन शाखा को सौंपेंगे. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. शनिवार को डीएम कार्यालय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गयी. डीएम सौरभ जोरवाल की ओर से डीडीसी अंशुल कुमार ने सभी प्रखंडों के बीडीओ के साथ बैठक की और एजेंडावार समीक्षा की. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल भी शामिल हुए. समीक्षा के क्रम में यह सामने आया कि जिले में 1923 बूथ हैं और 20 जून तक शत-प्रतिशत बूथों का भौतिक सत्यापन करते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है. प्रखंडों में गठित होने वाले निर्वाचन सेल की भी जानकारी ली गयी. पूर्व में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्वाचन सेल का गठन करने का निर्देश दिया गया था. जिस प्रखंड में गठन नहीं हुआ है, वहां शीघ्र यह काम पूरा करने कहा गया. सभी बीडीओ से यह भी प्रतिवेदन मांगा गया कि जिन जगहों पर सहायक मतदान केंद्रों की आवश्यकता हो तो इस दिशा में कार्य करें. मतदान केंद्र वाले भवन में यह देख लें कि अतिरिक्त कमरे हैं या नहीं. यदि नहीं हैं तो आसपास के सरकारी भवनों को सत्यापित कर लें और इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपे. बैठक के दौरान डीडीसी ने सभी बीडीओ को बीएलओ की सूची अपडेट करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा कर लें, अगर कहीं बीएलओ को बदलने की जरूरत हो, या फिर किसी बीएलओ का निधन हो गया तो सूची को अद्यतन कर लें. ताकि अद्यतन सूची को ऑनलाइन अपलोड किया जा सके.

हाई स्कूलों व कॉलेजों में बनाये जायेंगे कैंपस एंबेसडर : विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाई स्कूलों व कॉलेजों में कैंपस एंबेसडर बनाने का भी निर्देश बीडीओ को दिया गया है. इसके साथ तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी कैंपस एंबेसडर बनाये जायेंगे. हाई स्कूलों, कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों में दो-दो कैंपस एंबेसडर बनाये जायेंगे, जो चुनाव के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करेंगे और आवश्यक जानकारियां देंगे. बैठक में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इससे बचाव का उपाय करने का भी निर्देश दिया गया है.

बीडीओ के साथ बैठक करते डीडीसी व शामिल उप निर्वाचन पदाधिकारी.

वोटर लिस्ट में दर्ज नामों की होगी जांच

बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वोटर लिस्ट में दर्ज महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों की जांच कर लें. सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत समाज के प्रमुख व्यक्तियों के नामों की जांच करते हुए प्रमाण पत्र मांगा गया है, ताकि चुनाव के वक्त असहज स्थिति का सामना न करना पड़े. वैसे निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद अपने नामों की जांच कर संतुष्ट होना सभी का व्यक्तिगत दायित्व व कर्तव्य है. इसके बावजूद प्रमुख व्यक्तियों के नामों की जांच करते हुए आश्वस्त होने का निर्देश दिया गया है. व्यय संवेदनशील क्षेत्रों का भी जायजा लिया गया. सभी प्रखंडों में चिह्नित व्यय संवेदनशीलक्षेत्रों के बारे में जानकारी ली गयी.

प्रभात खबर Sun, 14 June 2020
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/52734766